

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज  
राजस्व चाद 133/2024  
अनवान् चैनाराम बनाम किशनाराम वगैरा

नं. व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामिल में  
जारी हुए

08.12.2025

वकुलाय फरिकेन उपरिथत। तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहश सुनी गई। दोनों पक्षों के अधिवक्ता तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमत हैं। लिहाजा वादी का वाद व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का प्रतिदावा तथा तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाता है।

क्रं सं.	नाम खातेदार	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	चैनाराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी माडपुरा बरवाला, तहसील बायतु, रहन एस. बी. वी. जे. शाखा बायतु सा.देह खातेदार	माडपुरा बरवाला	830	1.7636	बा. दो.	0.11
			868/825	4.0962	बा. दो.	0.25
योग :-			02	5.8598	-	0.36
02	किशनाराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी माडपुरा बरवाला, तहसील बायतु, सा.देह खातेदार	माडपुरा बरवाला	823	0.1294	गै.मु.	-
			868/825	5.7304	बा. दो.	0.34
योग :-			02	5.8598	-	0.34
3	हैराजराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी माडपुरा बरवाला, तहसील बायतु, रहन एस. बी. वी. जे. शाखा बायतु सा.देह खातेदार	माडपुरा बरवाला	868/825	2.6482	बा. दो.	0.16
			945/825	3.2117	बा. दो.	0.19
योग :-			02	5.8599	-	0.35

उपरोक्तानुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव का नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बायतु निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फंसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।

उपरोक्त जजिफिकारी, बायतु  
जिला - बालोतरा



अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु**  
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान R.A.S.

वादी  
1. चैनाराम पुत्र अमराराम जाति जाट  
निवासी माडपुरा बरवाला, तहसील  
बायतु जिला बालोतरा।

बनाग

प्रतिवादीगण

1. किरानाराम पुत्र अमराराम
2. हैराजराम पुत्र अमराराम जाति जाट  
निवासी माडपुरा बरवाला, तहसील  
बायतु जिला बालोतरा।
3. तहसीलदार बायतु।

दाया बाबत 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या- 133/2024

निर्णय दिनांक :- 08.12.2025

वादी की ओर से वकील श्री जगदीश गोदारा व प्रतिवादी संख्या 01 की ओर सं वकील श्री गणेश कुमार गोदारा एवं प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से वकील श्री गोपीलाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 08.12.2025 को (नाम पीठासीन अधिकारी) श्री कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाता है। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बायतु इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 08.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।




(कल्पित शिवरान)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

**वाद के खर्चे**




वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

(कल्पित शिवरान)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु


आंशिक नक्शा खिस्तकार  
 ग्राम - माडपुरा हरपाला  
 प.म - माडपुरा हरपाला  
 तहसील - बायतु



सहायक भूमिकाधी, बायतु  
 विभाग - बालोतरा

- खेती  जैमनाम
-  किकिनाम
-  हेरनाम

1. कोकरनाम
2. कोकरनाम
3. कोकरनाम
4. कोकरनाम
5. कोकरनाम
6. कोकरनाम
7. कोकरनाम



1001399742  
 राजकीय प्रतीक  
 3002882502  
 823925082  
 8433025373  
 9950591554  
 1509802882

12-08-2015  
 42912  
 माडपुरा हरपाला

तहसीलदार बायतु  
 जिला - बालोतरा  
 12-08-2015  
 माडपुरा हरपाला

हस्ताक्षर 12-08-2015

12/08/2015

12-08-2015  
 माडपुरा हरपाला